

कोरोना महामारी के मद्देनजर दिव्यांग एवं 80 साल से अधिक उम्र के लोग पोस्टल बैलेट के जरिये कर सकेंगे मतदान

कोविड-19 के तहत क्वारंटीन लोग भी अपने मत का कर सकेंगे उपयोग

दीव 17 अक्टूबर, 2020 : कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए संघ प्रदेशों के चुनाव आयुक्त ने अधिसूचना जारी करते हुए दिव्यांग जनों के साथ-साथ 80 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराई है। 8 नवम्बर को होने वाले जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के चुनाव के दौरान मतदान में दिव्यांग और 80 साल के आयु के लोग घर बैठे पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकेंगे। यह सुविधा कोविड-19 महामारी के चलते क्वारंटीन किये गये लोगों एवं चुनाव कार्य में तैनात कर्मियों को भी मिलेगी।

इस बाबत जानकारी मुहैया करते हुए दीव की माननीया समाहर्ता एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सलोनी राय ने बताया कि भारत के चुनाव आयोग ने कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए अनुपस्थित वोटों को इस सुविधा का लाभ लेने के लिए निर्वाचन अधिकारी को प्रपत्र-27 में पूर्ण विवरण के साथ अपना आवेदन देना होगा। आवेदकों के लिए दीव के सभी ग्राम पंचायत कार्यालय और समाहर्तालय स्थित चुनाव प्रकोष्ठ में प्रपत्र-27 उपलब्ध हैं। आवेदक द्वारा 22.10.2020 या उससे पहले संबंधित निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में अपना आवेदन सौंपना होगा। मतदाता को इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा भरा गया प्रपत्र-27 पूर्ण और सही हो। सही आवेदनों का मूल्यांकन कर, निर्वाचन अधिकारी द्वारा उन्हें पोस्टल बैलेट दिये जाएंगे ताकि वे अपना मतदान कर सकें। पोस्टल बैलेट के द्वारा मतदान कराने के लिए अलग से टीम का गठन किया जाएगा, जो 80 साल से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, कोविड-19 से प्रभावित रोगियों और महामारी के कारण क्वारंटीन किये गये लोगों को उनके घरों में जाकर उनसे मतदान कराएगी। अगर कोई मतदाता मतदान के समय कोविड-19 वायरस की वजह से अस्पताल में भर्ती है या उसे क्वारंटीन किया गया है तो उनके पास पोस्टल बैलेट पहुँचाया जाएगा और उन्हें मतदान की सुविधा प्रदान की जाएगी।

चुनाव आयोग की इस पहल का मुख्य उद्देश्य कोरोना महामारी के समय सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखते हुए 80 साल से अधिक उम्र वाले, दिव्यांगों, कोविड-19 वायरस की वजह से अस्पताल में भर्ती है या क्वारंटीन मतदाताओं को सुरक्षित मतदान की सुविधा प्रदान करना है।

हस्ता/-

(नोडल अधिकारी/जन-संपर्क अधिकारी)